

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO- *142
ANSWERED ON 20.12.2022

BENEFITS FOR SEAFARERS

*142. SHRI LUIZINHO JOAQUIM FALEIRO:

Will the Minister of PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS be pleased to state:

- (a) the progress made to alleviate the hardships and difficulties of Seafarers and their families;
- (b) whether Government or Directorate of Shipping prepared any scheme for the Seafarers so that they can live a life with honour and dignity after having contributed immensely for the country's economy; and
- (c) whether Government or Directorate of Shipping has received any demands from the Seafarers or their association, if so, the details thereof and action proposed thereon?

ANSWER

MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(SHRI SARBANANDA SONOWAL)

- (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 142 TO BE ANSWERED ON 20th DECEMBER, 2022
RAISED BY SHRI LUIZINHO JOAQUIM FALEIRO REGARDING "BENEFITS
FOR SEAFARERS".**

(a) to (c) Sir, the Government of India is very conscious of the need for continuous upskilling and welfare of the seafarers to alleviate the hardships and difficulties of seafarers and their families. The Government has taken various measures from time to time for the welfare of seafarers.

The Government has received representations from some of the unions/associations viz. Goan Seamen Association of India (GSAI), National Union for Seafarers of India (NUSI), Sailors Union of India (SUI) Retired Merchant Navy Sailors Association of India (RMNSAI) and Mr. Luizinho Faleiro, Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) suggesting welfare measures.

The measures taken by the Government to alleviate the hardships and difficulties of seafarers and their families are as below;

- Ratification of Maritime Labour Convention, 2006 (MLC):

India has implemented the International Maritime Labour Convention of International Labour Organisation (ILO) which is tripartite Convention of Government, Seafarers and employers by framing the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016 (ML Rules) and Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016, (RPS Rules), providing for regulatory framework for manning and labour matters including Seafarers' employment agreements, wages, hours of work and rest, leave, repatriation, manning levels, career and skill development opportunities for seafarers, accommodation and recreational facilities, food and catering, Health protection, Medical care, Welfare and Social protection, flag state and port state obligations and complaint procedures etc.

- Schemes for welfare of seafarers:

The Central Government through its organizations such as Seamen Provident Fund Organisation (SPFO) and Seafarers Welfare Fund Society (SWFS) has implemented various schemes for the welfare of seafarers and to ease the hardships faced by the seafarers and their families. These two organisations work for the welfare of seafarers and their families.

The various schemes being implemented by these organizations include Provident Fund Scheme, Survival Benefit Scheme, Invalidity Benefit Scheme, Maternity Benefit Scheme for female seafarer, The Old age benefit Welfare Scheme,

Family Benefit Welfare Scheme, SWFS-Novel Corona-virus (Covid-19) Assistance Scheme, & Ex-Gratia Assistance on Death.

In addition, various Seafarer's hostel/club / Welfare centres have been established and functioning at the various port cities across the country like Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin, Port Blair, Haldia, Kandla, Kakinada, Gangavaram and Paradip which function under the supervision of the Mercantile Marine Departments (MMDs)/Ports.

For enhancement of skill of the seafarers and to make them more competent, there are various schemes that have been implemented through the Maritime Training Trust (MTT) under the Directorate General of Shipping including, the Skill enhancement program of GP Rating and cadets, E-Learning for Certificate of Competencies Courses, E-Learning for Modular Courses, Conduct of online Course on English Communication & Soft Skill for faculty, and Providing of enhanced financial support of Rs 1 lakh per annum for women seafaring candidates. So far, Rs. 28.94 Crore has been spent by the MTT has resulting in the issuance of 14.88 lakh training certificates to seafarers and scholarship for 1170 women cadets.

- Other measures:

The Directorate vide DGS Circular No.23 of 2021 dated 11.08.2021 has launched three 24 x7 helplines for psychological assistance to seafarers in need.

Directorate has set up 24x7 DG Communication Centre (DG Commcentre) to act as a Maritime Assistance Service (MAS) and to receive the messages from the distressed seafarers.

Several measures have been taken to ease the hardship faced by the seafarers due to COVID 19 pandemic including steps for combat corona virus on board ships, pre-board screening, vaccination of seafarers, e-pass facility, controlled crew change, crew change through chartered flights, extension of validity of certificates and continuation of training and examination system through e-mode etc.

Due to the continuous reformative and progressive steps taken by the Government, the number of Indian seafarers employed in the calendar year 2022 has reached the level of 2,44,063 on national and international fleet as compared to 1,17,090 in the calendar year 2014. The tonnage under Indian flag has also reached over 13.6 Million Tons with 1516 ships under Indian flag as compared to tonnage of 10.4 Million Tons with 1213 ships in the year 2014 which led to increase in number of employment opportunities for seafarers.

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *142 जिसका उत्तर
मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2022 (29 अग्रहायण, 1944 (शक)) को दिया जाना है

नाविकों के लिए लाभ

***142 श्री लूइज़िनो जोएक्विम फलेरो :**

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नाविकों और उनके परिवारों की कठिनाइयों और समस्याओं को कम करने के लिए किए जा रहे कार्य में कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) क्या सरकार या नौवहन महानिदेशालय ने नाविकों के लिए कोई योजना तैयार की है ताकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक योगदान देने के बाद वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें; और
- (ग) क्या सरकार अथवा नौवहन महानिदेशालय को नाविकों अथवा उनके संघ से कोई मांग प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"नाविकों के लिए लाभ" के संबंध में श्री लूइज़िनो जोएक्विम फलेरो द्वारा पूछे गए दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *142 के उत्तर के भाग (क) से (ग) तक में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): महोदय, भारत सरकार नाविकों और उनके परिवारों की कठिनाइयों और समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से उनके सतत कौशल उन्नयन और कल्याण की जरूरत के प्रति अत्यंत सजग है। नाविकों के कल्याण के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं।

कल्याण उपायों का सुझाव देते हुए सरकार को कुछ यूनियनों/संगठनों नामतः गोअन सी-मेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जीएसएआई), नेशनल यूनियन और सीफेयरर्स ऑफ इंडिया (एनयूएसआई), सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया (एसयूआई), रिटायर्ड मर्चेन्ट नेवी सेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएमएनएसएआई) और श्री लूइज़िनो फलेरो, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

नाविकों और उनके परिवारों की कठिनाइयों और समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 (एमएलसी) का अनुसमर्थन:

भारत ने वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) नियम, 2016 (एमएल नियम) और वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियोजन) नियम, 2016 (आरपीएस नियम) तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री श्रम कन्वेंशन को लागू किया है, जोकि सरकार, नाविकों और नियोजकों की त्रिपक्षीय कन्वेंशन है। इनमें नाविकों के रोजगार करारों, मजदूरी, कार्य और आराम के घंटों, छुट्टी, प्रत्यावर्तन, मैनिंग स्तरों, नाविकों हेतु कैरियर और कौशल विकास के अवसरों, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवासन और मनोरंजन सुविधाएं, खाद्य और खान-पान, स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा देख-भाल, कल्याण और सामाजिक संरक्षण, पंजीकरण (फ्लैग) राष्ट्र और पत्तन राष्ट्र के दायित्वों और शिकायत प्रक्रियाओं आदि सहित मैनिंग और श्रम मामलों हेतु विनियामक ढांचे का प्रावधान किया गया है।

- नाविकों के कल्याण हेतु योजनाएं:

केन्द्र सरकार ने अपने संगठनों, जैसे नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ) और नाविक कल्याण निधि सोसायटी (एसडब्ल्यूएफएस) के माध्यम से नाविकों के कल्याण और नाविकों और उनके परिवारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों

को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। ये दोनों संगठन, नाविकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।

इन संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में भविष्य निधि योजना, उत्तरजीविता लाभ योजना, अशक्तता लाभ योजना, महिला नाविकों हेतु मातृत्व लाभ योजना, वृद्धावस्था लाभ कल्याण योजना, परिवार लाभ कल्याण योजना, एसडब्ल्यूएफएस-नोवल कोरोना-वायरस (कोविड-19) सहायता योजना और मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पूरे देश में विभिन्न पत्तन नगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, कोचिन, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया, कांडला, काकीनाडा, गंगावरम और पारादीप में विभिन्न नाविक हॉस्टल/क्लब/कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कार्यशील हैं, जोकि वाणिज्यिक समुद्री विभागों (एमएमडी)/पत्तनों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं।

नाविकों के कौशल उन्नयन और उन्हें और अधिक सक्षम बनाने के लिए नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत समुद्री प्रशिक्षण न्यास के माध्यम से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं जिनमें जीपी रेटिंग्स और कैडेटों का कौशल उन्नयन कार्यक्रम, सक्षमता पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र हेतु ई-लर्निंग, मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों हेतु ई-लर्निंग, फैकल्टी हेतु अंग्रेजी वार्तालाप एवं व्यवहार कुशलता पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाना, महिला नाविक अभ्यर्थियों के लिए 1 लाख रु. प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल हैं। अब तक, एमटीटी द्वारा 28.94 करोड़ रु. का व्यय किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नाविकों को 14.88 लाख प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और 1170 महिला कैडेटों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

- अन्य उपाय:

जरूरत पड़ने पर नाविकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए निदेशालय द्वारा दिनांक 11.08.2021 के वर्ष 2021 के डीजीएस परिपत्र सं. 23 के माध्यम से तीन 24x7 हेल्पलाइन शुरू की गई हैं।

एक समुद्री सहायता सेवा (एमएस) के रूप में कार्य करने तथा परेशान नाविकों से संदेश प्राप्त करने के लिए निदेशालय द्वारा 24x7 संचार केन्द्र (डीजी कॉमसेंटर) स्थापित किया गया है।

कोविड-19 महामारी के कारण नाविकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए पोतों पर कोरोना वायरस के मामलों से निपटने, पोत में चढ़ने से

पूर्व जांच करने, नाविकों के टीकाकरण, ई-पास सुविधा, नियंत्रित कर्मीदल बदलाव, चार्टर उड़ानों के माध्यम से कर्मीदल बदलाव, प्रमाण-पत्रों की वैधता में विस्तार और ई-मोड के माध्यम से प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणाली की निरंतरता आदि सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए सतत सुधारात्मक और प्रगतिशील उपायों के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेड़े में नियुक्त भारतीय नाविकों की संख्या कैलेंडर वर्ष 2022 में 2,44,063 पहुंच गई है, जबकि कैलेंडर वर्ष 2014 में यह संख्या 1,17,090 थी। 1516 पोतों के साथ भारत में पंजीकृत पोतों का टनभार भी 13.6 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2014 में 1213 पोतों के साथ यह टनभार 10.4 मिलियन टन था। इसके परिणामस्वरूप, नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

SHRI G.K. VASAN: Sir, I am happy to note that the number of seafarers employed in both national and international fleet has gone up to 2,44,063 in the year 2022. Also, the tonnage of Indian flagships has reached 13.6 million tonnes. This would have surely helped seafarers get more employment opportunities. I congratulate the Ministry and the hon. Minister for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI G.K. VASAN: Sir, I have a very pointed question for the hon. Minister. Psychological assistance is very much needed during times of distress for the seafarers. Also important is the enhancement of skill development of the seafarers. What are the steps being taken by the hon. Minister in this important matter?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल): आदरणीय उपसभापति महोदय, जो सवाल नाविकों के सिलसिले में इस हाउस में लाया गया है, उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सीफ़ेअरर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे मैरिटाइम ट्रेड को आगे बढ़ाने में वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कल्याण के लिए जो योजना बनाई गई है, उसको भारत सरकार के द्वारा निष्ठापूर्वक लागू किया गया है। हमारे आदरणीय सांसद जी ने जो सवाल किया है, वह यह है कि उन नाविकों के मोटिवेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने क्या प्रोग्राम चला रखा है। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि skill-building or motivational programme conducted for cadets in Pre-Sea MTIs, the amount spent is nearly Rs.20 lakhs. The estimated number of seafarers and faculties benefited are 100. This is how we impart the training. Psychologically, we motivate them so that they always feel fresh and energetic. There are other programmes for skill development; I want to mention two or three, namely, Skill Enhancement Programme, Certificate of Competency, Contribution for National Maritime Day Celebration, e-learning for competency with the help of different agencies and e-learning for modular courses. This is how we impart training to seafarers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 143.